[1.10.13 को अद्यतित]

आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान इत्यादि कार्यों में संलग्न आयुष संगठनों (सरकारी/गैर-सरकारी/गैर-लाभकारी) को उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नयनकृत करने के लिए सहायता हेतु स्कीम।

I. परिचय

स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित एकाधिक स्कीमों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में घरेलूऔर वैश्विक समाज में आयुष की बढ़ती हुई उपभोक्ता स्वीकार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार ने सरकारी/गैर-सरकारी/गैर-लाभकारी संगठनों में शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान इत्यादि कार्यों में संलग्न प्रतिष्ठित आयुष ज्ञान को चिह्नित करने और उनके कार्यों और सुविधाओं को उत्कृष्टता के स्तर तक उन्नयन करने में सहायता देने का है।

उत्कृष्टता केंद्र ऐसे संस्थान/संगठन हो सकते हैं जो निम्नलिखित क्रियाकलापों में से एक अथवा अधिक में संलग्न हों:

i. नैदानिक अनुसंधान।
ii. आयुष अस्पताल और नर्सिंग होम।
iii. आयुष के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित अनुसंधान।
iv. आयुष और आधुनिक विज्ञान के अंतर को पाटने के लिए भेषज गुण विज्ञान, भेषजिकी अथवा उत्पाद विकास में अंतर्विषयक अनुसंधान।
v. आयुष का कोई अन्य विशिष्ट क्षेत्र।

II. स्कीम का उद्देश्य:

प्रतिष्ठित आयुष संस्थानों से संबंधित क्रियाकलापों और सुविधाओं को उत्कृष्टता के स्तर पर उन्नयनकृत करने के लिए रचनात्मक और नवाचारी प्रस्तावों को समर्थन देना। क्रियाकलापों को उन्नत करने कातात्पर्य है कि नए दीर्घकालिक क्रियाकलापों को शामिल करना और मानव संसाधनों के लिए समर्थन सहित वर्तमान क्रियालापों में महत्वपूर्ण गुणात्मक सुधार करना। सुविधाओं को उन्नत करने का तात्पर्य है कि इसमें ऐसी अवसंरचना और उपकरण शामिल करना जिनसे गुणात्मक सुधार होगा। सरकारी अनुदान से आवेदक संगठन की मौजूदा सुविधाओं को ऐसे उच्चतर मानक प्राप्त करने के लिए उन्नत किया जाना चाहिए, जैसे कि ऐसे विषय में मान्य हो अर्थात एनएबीएच, एनएबीएल, जीएलपी, जीएमपी

आदि और जैसे विभाग को स्वीकार्य है। वह संगठन जो एनएबीएच/एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके लिए परियोजना के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य एनएबीएच/एनएबीएल मान्यता होनी चाहिए।

III. **स्कीम के अंतर्गत पात्रता:**

i. ऊपर दिए गए स्कीम के परिचयमें सूचीकृत/एक अथवा अधिक क्षेत्रों में संलग्न सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों/उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/अनुसंधान परिषदों स्वायत्त संगठन और गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन।

ii. आवेदक के पास आयुष क्षेत्र, विशेष रूप से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में प्रस्तावित क्रियाकलाप में कम से कम पांच वर्ष के सराहनीय कार्य का कार्य-निष्पादन अभिलेख होना चाहिए और भवन, भूमि, उपकरण और श्रमशक्ति के मामले में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। भवन का और विस्तार तथा अनुदान से खरीदे जाने वाले उपकरणों को रखने के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए।

iii. अनुदान से एम्बुलेंस के सिवाय वाहन और भूमि की खरीद की अनुमति नहीं है।

iv. स्कीम के दिशा-निर्देशों में **संलग्नक-घ** पर प्रस्तुत निदर्शी सूची के अनुसार संगठन को राज्य स्तर पर संबंधित क्षेत्र में श्रेष्ठता का स्तर हासिल करने की अपनी सम्भावना और राष्ट्र स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र बनने की सम्भावना के आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

v. संगठन की कानूनी स्थिति:- संगठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम/न्यास/कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य नियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

vi. आवेदक के पास प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र के क्षेत्र में सक्षम मुख्य कार्यदल होना चाहिए।

vii. आवेदक के पास विश्वसनीय और पारदर्शी शासी निकाय होने के साथ-साथ उसकी प्रबंधन समिति में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए।

viii. ऐसा कोई भी संस्थान जिसने पिछले पांच वर्षों में इसी प्रयोजनार्थ आयुष विभाग/किसी अन्य केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग में किसी अन्य स्कीम से वित्तपोषण प्राप्त किया है, वह इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण का पात्र नहीं होगा।

ix. आवेदक को सरकार से कभी भी ली गई किसी सहायता के संबंध में सूचना उपलब्ध करानी होगी।

परियोजना अनुमोदन समिति विशेष श्रेणी के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा योग्यता के संबंध में मामले-दर-मामले आधार पर अन्य मामलों में भी अर्हता मानदंडों में छूट दे सकती है।

IV. स्कीम की अवधि:

स्कीम की 12वीं योजना के दौरान आरम्भ हो जाएगी। आवश्यकतानुसार स्कीम के मध्यावधि सुधारों के लिए वार्षिक आधार पर स्कीम की आवधिक समीक्षा की जाएगी।

V. आवेदन का तरीका

उत्कृष्टता केंद्र में उन्नत किए जाने हेतु आवेदन **संलग्नक-क** पर दिए गए प्रपत्र में किया जाएगा।

गैर-सरकारी संगठनों के मामले में यह प्रस्ताव **संलग्नक-ग** पर दिए गए प्रपत्र में कम से कम निदेशक स्तर के राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा अग्रेषित और अनुशंसित किया जाना चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसाओं में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना चाहिए।

(क) संस्थान/संगठन का प्रत्यय-पत्र।

(ख) पिछले 5 वर्षों में संस्थान/संगठन का कार्यनिष्पादन अभिलेख।

(ग) स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना की प्रासंगिकता।

(घ) उत्कृष्टता केंद्र में इसके उन्नयन के पश्चात सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संस्थान की उपयोगिता।

नोट: आवेदक संगठन द्वारा राज्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 60 दिनों के अंदर राज्य सरकार को यह प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में अग्रेषित करना है। यदि, राज्य सरकार से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य सरकार को आवेदक संगठन के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है और आयुष विभाग तद्नुसार प्रस्ताव पर विचार करेगा।

VI. चयन प्रक्रिया:

प्रस्ताव का चयन निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा :-

चरण- I: अनुभाग में प्रस्ताव की जांच:

प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात कार्यक्रम अधिकारी 14 दिनों के अंदर प्रक्रिया आरम्भ कर देगा। प्रारंभिक जांचमें स्कीम के दिशा-निर्देशानुसार और उपयुक्त न पाए जाने पर प्रस्ताव/अवधारणा नोट अर्थात खामियों से युक्त प्रस्ताव (उद्देश्यों और अर्हता मानदंड से परे) को निरस्त कर दिया जाएगा और तद्नुसार आवेदक को सूचित किया जाएगा। उपयुक्त पाए जाने पर प्रस्ताव को परियोजना मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

चरण-II: परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)

संयुक्त सचिव (आयुष) की अध्यक्षता में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा उपयुक्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा। पीएसी आवेदक संगठन को समिति के समक्षप्रस्तुतिकरण के लिए बुला सकती है। परियोजना मूलयांकन समिति द्वारा स्पष्ट लक्ष्यों, घटक-वार लागत, कार्य योजना, कार्यान्वयन क्षेत्र, परियोजना की अवधियुक्त प्रस्तावों की अनुशंसा की जाएगी।

चरण-III: परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी)

परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन/संस्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो मामले-दर-मामले आधार पर परियोजना अनुमोदन समिति परियोजना के लक्ष्यों इत्यादि में छूट दे सकती है। परियोजना अनुमोदन समिति के अनुमोदन के पश्चात ही सभी किस्तें निर्मुक्त की जाएंगी।

परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी):

परियोजना मूल्यांकन समिति का संयोजन निम्निलखित रूप से होगा।

(i)	संयुक्त सचिव (आयुष)	-	अध्यक्ष
(ii)	आयुष विभाग के सलाहकार (आयुर्वेद)/यूनानी/होम्योपैथी	-	सदस्य
(iii)	आयुष विभाग के अधीन अनुसंधान परिषदों के महानिदेशक	-	सदस्य
(iv)	सीएसआईआर/डीबीटी/डीएसटी/आईसीएमआर के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(v)	योजनाके प्रभारी निदेशक	-	सदस्य/संयोजक

परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए तथा अनुशंसित प्रस्तावों को परियोजना अनुमोदन समिति के विचारार्थ रखा जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो संयुक्त सचिव (आयुष) की

अध्यक्षता में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के समक्ष आवेदक को प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

परियोजना मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर मूल्यांकन के श्रेष्ठतम प्रस्ताव की पुनरीक्षा और उसका चयन करेगी:

(i) प्रत्यायन के लिए संगठन की नेकनियति।
(ii) उत्कृष्टता के लिए उद्देश्यों की वैज्ञानिक प्रासंगिकता।
(iii) आवेदक का पिछले पांच वर्षों का कार्य निष्पादन अभिलेख।
(iv) वर्तमान कार्यों और सुविधाओं की क्षमताएं और सीमाएं।
(v) अगले पांच वर्षों के दौरान प्रत्याशित परिणाम और नतीजे।
(vi) आवेदक संस्थानों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी गुणवत्ता।

किस्तें जारी करने से पूर्व पीएसी उपलब्धि सह-निष्पादन रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगी।

परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी)

परियोजना स्वीकृति समिति का संयोजन निम्नलिखित रूप से होगा:

(i)	सचिव (आयुष)	-	अध्यक्ष
(ii)	संयुक्त सचिव (आयुष)	-	सदस्य
(iii)	संबंधित सलाहकार, आयुष विभाग	-	सदस्य
(iv)	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
(v)	सचिव आयुष द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित आयुष जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ		
(vi)	योजनाके प्रभारी निदेशक		संयोजक

परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।

स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त और उपयोगी पाए जाने वाले प्रस्तावों को परियोजना अनुमोदन समिति स्वीकृति प्रदान करेगी।

अनुमोदन समिति, मामूली खामियों युक्त प्रस्तावों को समिति द्वारा सुझाए गए सुधारों के अधीन सिद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर सकती है और उपयुक्त नहीं पाए गए प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा।

VII. वित्तपोषण पद्धति

(i) तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे। सिविल निर्माण कार्यों में सरकारी अनुदान का अधिक से अधिक 30%तक खर्च करने की अनुमति होगी।

(ii) पीएसीके निर्णयानुसार निधियों को कम से कम तीन किस्तों में निर्मुक्त किया जाएगा, जो कुल स्वीकृत राशि की प्रत्येक किस्त की 40%, 40% और 20% राशि से अधिक नहीं होगा।

(iii) संतोषजनक उपलब्ध सह-निष्पादन रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र को स्वीकार होने और पीएसीके अनुमोदन के पश्चात दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाएगी।

(iv) गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों के मामले में अनुदानग्राही संस्थान को अनुदान जारी होने से पूर्व एक बैंक प्रतिभूति और बंध-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अनुदानग्राही संस्था को बंध-पत्रमें इस बात की प्रतिबद्धता विशेष रूप से करनी होगी कि सरकारी अनुदान से सृजित 25% सुविधाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रियायती दर पर उपलब्ध होंगी और ऐसी सेवाओं का अभिलेख अनुरक्षित रखा जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रियायती दर पर सुविधाएं प्रदान करने की शर्त अनुसंधान परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी जहां अनुदान से कोई ज्ञान उत्पाद विकसित किया गया है। यदि अनुसंधान उत्पाद सरकारी अनुदान से विकसितकिया जाताहै तो विभाग की विशिष्ट पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी अनुदान से विकसित अनुसंधान उत्पाद के वाणिज्यिक उपयोग के लिए अनुमोदन पर विचार करते समय विभाग जो सही समझे शर्तें रख सकता है।

(v) अनुदान संस्वीकृति की शर्तों एवं निबंधनों में किसी प्रकार की चूक या विचलन के लिए आयुष विभाग के पास निधियां निर्मुक्त होने की तारीख से 12% ब्याज के साथ कुल अनुदान वसूल करने का अधिकार होगा।

VIII. <u>निगरानी तंत्र:</u>

i. परियोजना की कुल लागत का 0.6% परियोजना की निगरानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

ii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार जहां परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, को प्रत्येक परियोजना की निगरानी में शामिल किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करके एक समिति का गठन किया जाएगा।

   क. आयुष के साथ कार्य कर रहे राज्य निदेशालय/विभाग का एक प्रतिनिधि।
   ख. संबंधित परिषदों के स्थानीय केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई)/ क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आरआरआई) इकाई से एक प्रतिनिधि।
   ग. आयुष विभाग से एक प्रतिनिधि
   घ. सचिव (आयुष) द्वारा नामित एक स्थानीय प्रख्यात आयुष विशेषज्ञ

नोट: किसी भी मामले में निगरानी समिति के दो से कम सदस्यों द्वारा निरीक्षण दौरे का आयोजन नहीं किया जाएगा।

iii. निगरानी समिति पश्चवर्ती किस्त को जारी करने से पहले विभागको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

iv. परियोजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सीआरआई/आरआरआई संगठन की गतिविधियों की निगरानी करेंगे।

v. परियोजना से हासिल किए गए अंतिम उत्पादों/लक्ष्यों को औषध विकास/अनुसंधान नयाचारों में आगे बढ़ने के लिए अनुसंधान परिषदों को अग्रेषित किया जाएगा।

योजना के लिए कर्मचारी:

आयुष विभाग परियोजना के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम योग्यता एमबीए के साथ 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले को 55,000/-रुपये के मासिक पारिश्रमिक पर परियोजना प्रबंधक तथा 20,000/- रुपये मासिक पर संविदा के आधार पर डाटा-एंट्री-ऑपरेटर नियुक्त करेगा। आंतरिक वित्त प्रभाग के साथ परामर्श से पारिश्रमिक की आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

संलग्नक-क

आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान इत्यादि कार्यों में संलग्न आयुष संगठनों (सरकारी/गैर-सरकारी/गैर-लाभकारी) को उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नयनकृत करने के लिए सहायता हेतु स्कीम।

1. अभिकरण/संगठन का नाम:
2. पंजीकृत पता:
3. पत्राचार का पता टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित-
4. पंजीकरण संख्या और तारीख (पंजीकरण की एक प्रति संलग्न करें):-
5. संगठन की वित्तीय स्थिति:
   क. पिछले 05 वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल आय:
   ख. पिछले 05 वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल व्यय:
   ग. पिछले 05 वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल परिसम्पत्तियां:
6. क्या संगठन के पास अपना स्वयं का भवन है, यदि हां, तो प्रशिक्षण उपकरण, वाहन आदि से संबंधित सूचना के साथ उपलब्ध आधारभूत संरचना का ब्यौरा दें:
7. नियुक्त कार्मिकों का ब्यौरा:

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**परियोजना के तहत सौंपा गया कार्य**	**कार्य निष्पादित करने में उसकी योग्यता**

8. संगठन के उद्देश्यों का ब्यौरा:
9. (i) क्या आयुष विभाग से पहले कोई सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।
   (ii) क्या परीक्षित लेखों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत किया गया है, यदि नहीं तो उसका कारण बताएं।
10. क) क्या केंद्र/राज्य सरकार सहित किसी अन्य स्रोत से सहायता अनुदान प्राप्त किया जा रहा है।
    ख) यदि हां, तो शुरू किए गए क्रियाकलापों सहित उसका ब्यौरा दें।
11. परियोजना के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के ब्यौरे।
12. परियोजना के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र -
    क) राज्य का नाम
    ख) जिला/जिलों का नाम
    ग) ब्लॉक/ब्लॉकों का नाम

13. संगठन की प्रबंधन समिति में शामिल विख्यात व्यक्तियों के ब्यौरे।
14. क्या निम्नलिखित ब्यौरों के साथ प्रस्ताव पर कोई अवधारणा पत्र संलग्न किया गया है-
    क. उत्कृष्टता के प्रस्तावित उद्देश्य और उनके औचित्य
    ख. उत्कृष्टता केंद्र के रूप में प्रस्तावित क्रियाकलापों में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रशंसनीय उपलब्धियों के कार्य निष्पादन का अभिलेख।
    ग. उपलब्ध स्टाफ और अवसंरचना की रूप रेखा
    घ. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित सूचना; और
    ङ. पंचवर्षीय योजना के लिए मोटे तौर पर बजट आकलन
15. पूर्ण औचित्य सहित स्कीम के अंतर्गत अपेक्षित सहायता अनुदान की राशि (मद-वार) और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्ष-वार व्यय का ब्यौरा (अनुदान के लिए पृथक पत्र संलग्न किया जाए)।
16. अनुदान से प्राप्त किए जाने वाले वर्ष-वार लक्ष्य
17. परियोजना को क्रियान्वित करने का ढंग।
18. योजना के दिशा-निर्देशों के **संलग्नक-घ** में दी गई निदर्शी सूची के संबंध में इस स्कीम के अंतर्गत सरकारी अनुदान का उपयोगकरके संगठन द्वारा प्राप्त किए जानेवाले मानक।
19. आवेदन **संलग्नक-ग** के अनुसार राज्य के अधिकारी द्वारा विधिवतरूप से अग्रेषित किया जाना चाहिए।

संगठन के महासचिव/अध्यक्ष
मुख्यकार्यकारी/मालिक का नाम और
हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मोहर

<u>वचनबंध</u>

मैं/हम ..... (..... संगठन/संस्थान/एनजीओ का नाम) की ओर से वचन देता हूं/देते हैं कि इस परियोजना के कार्य की प्रगति तिमाही आधार पर आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित की जाएगी और सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र वार्षिक आधार पर लेखा-परीक्षित खातों के विवरण सहित प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।

हस्ताक्षर .....

संगठन के प्रधान का नाम स्पष्ट अक्षरों में .....

(मोहर सहित)

अनुलग्नक-IV

फार्म जीएफआर 19-ए

[नियम 212(I) देखें]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रपत्र

क्र.सं.	पत्र सं. और तारीख	राशि
	योग	

प्रमाणित किया जाता है कि हाशिये में दिए गए आयुष विभाग के पत्र सं. के अंतर्गत वर्ष ..... के दौरान ..... के लिए मंजूर सहायता अनुदानों के ..... रुपयों और पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष के कारण ..... रुपयों में से ..... रुपये की राशि का उपयोग ..... उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए यह मंजूर की गई थी। वर्ष के अंत में उपयोग न की गई .....रु. की शेष राशि (सं. ..... दिनांक ..... के अंतर्गत) सरकार को लौटा दी गई है / आगामी वर्ष ..... के दौरान देय सहायता अनुदान/इक्विटी के विरुद्ध समायोजित कर दी जाएगी।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने आपको इस बात से संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान/इक्विटी मंजूर की गई थी, वे विधिवत पूरी की गई हैं/की जा रही हैं और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित नियंत्रण लगाए हैं कि धन उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है, जिसके लिए वह मंजूर किया गया था :

किस प्रकार के नियंत्रण किए गए

1.
2.
3.

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर और मोहर

एसपीवी निदेशक/अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मोहर .....

नाम एवं पदनाम .....

दिनांक .....

<u>संलग्नक-ख</u>

1. आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

i. आवेदन संलग्नक-क के अनुसार।
ii. प्रस्ताव की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की दो प्रतियां।
iii. पंजीकरण प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन और गैर-सरकारी संगठन/संस्थान के मामले में संगठन की उप-विधियों की सत्यापित प्रतियां।
iv. निरंतर पिछले 3 वर्षों के लेखा-परीक्षित खातों के विवरण की सत्यापित प्रति।
v. पिछले कार्यकलापों का नोट विशेष रूप से आयुष क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्यकलापों का।
vi. गैर सरकारी संगठन/संस्थान के मामले में संगठन के बैंक-खाते का ताजा विवरण।
vii. परियोजना प्रस्ताव के अंतर्गत संकल्पित कार्यकलापों का अवयव-वार विवरण देते हुए संगठन की योजना पर विस्तृत नोट।
viii. किन्हीं संगठनों/सरकारी विभागों से कभी पहले प्राप्त सहायता अनुदान का विस्तृत विवरण।
ix. प्रकाशनों की सूची, यदि कोई किए हों।
x. प्रस्तावित उत्कृष्टता क्षेत्र में कार्य करने के पिछले ट्रैक रिकार्ड का समर्थन करने वाले दस्तावेज़।
xi. संलग्नक-घ पर लगाई गई निदर्शी सूची के अनुसार उस विशेष कार्यक्षेत्र में राज्य का प्रमुख संस्थान होने का दावा करने वाले समर्थक दस्तावेज़।
xii. उत्कृष्टता के प्रस्तावित उद्देश्य और उनका औचित्य।
xiii. पिछले पांच वर्षों के दौरान पूरे किए गए प्रशस्य कार्यों का ट्रैक रिकार्ड।
xiv. उपलब्ध स्टाफ एवं अवसंरचना का संक्षिप्त विवरण।
xv. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूचना, यदि कोई हो।
xvi. पंचवर्षीय कार्यक्रम के लिए व्यापक बजट अनुमान; और

आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. हम अनुदान के सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेंगे।
2. हम आयुष विभाग द्वारा अपेक्षित सभी आवधिक/विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे।
3. हमारी पुस्तकें तथा अभिलेख आयुष विभाग अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण हेतु सर्वदा खुले रहेंगे।
4. आयुष विभाग अपने विवेकानुसार स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति/निधियों के उपयोग का मूल्यांकन कर सकता है।
5. दी गई सूचना और प्रस्ताव के संलग्न दस्तावेजों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता हेतु अधोहस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और इस संबंध में किसी भी दोष के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा।
6. परियोजना के लिए पृथक लेखे रखे जाएंगे।
7. परियोजनाओं की मंजूरी के निबंधनों एवं शर्तों को न मानने अथवा उनसे विचलन करने पर आयुष विभाग को दी गई अनुदान की पूरी राशि को, निधि/निर्मुक्ति की तारीख से, 12% ब्याज सहित वसूलने का अधिकार होगा।

<u>आवेदक संगठन द्वारा अनुदान निर्मुक्ति से पूर्व, किंतु आयुष विभाग से अनुमोदन पत्र प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होंगे</u> :

(i) बैंक गारंटी

आवेदक संगठन (सरकार से अन्य) को एक किश्त की निर्मुक्ति के समान राशिके अनुदान की निर्मुक्ति से पूर्व एक अटल एवं बेशर्त बैंक गारंटी देनी होती है। स्कीम के दिशा-निर्देशों और समय-समय पर सरकार/विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों, जिनमें मंजूरी पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देश भी शामिल हैं, के निबंधनों एवं शर्तों को न मानने अथवा उनसे विचलन की अवस्था में आयुष विभाग को बैंक गारंटी जब्त करने का अधिकार होगा।

(ii) बंध पत्र

चुने गए संगठन (सरकार से अन्य) को एक बंधपत्र प्रस्तुत करना होता है। उस बंध पत्र में यह लिखा होना चाहिए कि आवेदक संगठन मंजूरी पत्र में उल्लिखित सभी निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेगा, जीएफआर, अवयववार अनुमोदित परियोजना लागत, परियोजना के अधीन ग्रहण किए जाने वाले वर्ष वार सामान और सरकारी अनुदान से सृजित 25% सुविधाएं गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को रियायती दरों पर उपलब्ध होंगी। इस बंध पत्र की वैधता अंतिम किश्त की निर्मुक्ति से कम से कम सात वर्षों तक अवश्य होनी चाहिए।

बंध पत्र में निम्नलिखित विवरण भी होना चाहिए :

- आवेदक संगठन के मुख्य कार्यकर्ता का फोटोग्राफ
- संगठन के मुख्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और मोहर
- डाक पता
- दूरभाष नंबर एसटीडी कोड सहित

(iii) योजना आयोग में पंजीकरण

चुने गए संगठन (गैर सरकारी) को अनुदान की निर्मुक्ति से पूर्व योजना आयोग के पोर्टल के साथ पंजीकृत होना होता है।

5. आवेदन किसे करें

निदेशक (स्कीमें),
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग,
आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023.

<u>संलग्नक-ग</u>

राज्य सरकार द्वारा संगठन के प्रत्यय पत्रों के सत्यापन हेतु प्रपत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि (संगठन का नाम) ..... पता .... पिछले ..... वर्षों से ..... राज्य में कार्य कर रहा है।

क) यह संस्थान ..... वर्षों से ..... के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यह पहले ही ..... का मानक प्राप्त कर चुका है, जिसे स्कीम दिशा-निर्देशों के संलग्नक-घ पर लगी निदर्शी सूची के अनुसार न्यूनतम पात्रता मापदण्ड विनिर्दिष्ट किया गया है। इसे उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है।

ख) ये अपग्रेड की गई सुविधाएं (वह तरीका बताएं जिससे ये अपग्रेड की गई सुविधाएं जनता के लिए लाभकारी होंगी)..... से जनता को लाभ पहुंचाएंगी।

ग) इस संगठन का ..... क्षेत्र में पिछले पांच वर्ष का ट्रैक रिकार्ड उल्लेखनीय है और जनता के लिए लाभकारी है।

घ) संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार संगत है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान के अधीन उत्कृष्टता केन्द्र में उन्नयन हेतु विचार करने की सिफारिश की जा रही है।

.....
राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर, जो संबंधित
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आयुष के निदेशक से कम स्तर का न हो

कार्यालय मोहर

दूरभाष सं. .....
फैक्स सं. .....

<u>संलग्नक-घ</u>

निदर्शी सूची

संस्थान की श्रेणी	न्यूनतम पात्रता-मापदण्ड	प्राप्य मानक

<u>नैदानिक अनुसंधान</u>	शिक्षण महाविद्यालय स्थापना, जिसके पास स्नातकोत्तर सीटों के लिए आयुष विभाग से अनुमति हो। कम से कम 05 अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए हों, जिनमें से दो अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपे हों। संबंधित क्षेत्र में नवीन एवं मौलिक अनुसंधान में संलग्न हो।	संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान/अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्तर पर प्रोन्नत किया जाए।
<u>आयुष अस्पताल</u>	संबंधित डिसिप्लिन में कम से कम 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, जो पिछले 05 वर्षों से विद्यमान हो और 1 करोड़ रुपए का कारोबार हो।	(i) एनएबीएच स्तर प्राप्त करना – अनुदान वाले संस्थान को एनएबीएच प्रत्यायन हेतु स्तर प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। (ii) पहले से एनएबीएच प्राप्त संस्थानों के लिए एनएबीएच द्वारा विकसित उच्चतम मानकों के अनुसार।
<u>नर्सिंग होम्ज</u>	संबंधित डिसिप्लिन में कम से कम 25 बिस्तरों वाला अस्पताल, जो पिछले 05 वर्षों से विद्यमान हो और 1 करोड़ रुपए का कारोबार हो।	(i) एनएबीएच स्तर प्राप्त करना – अनुदान वाले संस्थान को एनएबीएच प्रत्यायन हेतु स्तर प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। (ii) पहले से एनएबीएच प्राप्त संस्थानों के लिए एनएबीएच द्वारा विकसित उच्चतम मानकों के अनुसार।
<u>फार्मेसी</u>	अर्हक सूची-टी जीएमपी मापदण्ड, 05 वर्ष से अधिक समय से स्थापित हो। 05 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार हो।	डब्ल्यूएचओ-जीएमपी/सीओपीपी स्तर प्राप्त करने के लिए अपग्रेड किया जाए।
<u>भेषजसंहिता प्रयोगशाला</u>	कम से कम पांच वर्षों की अवधि से अस्तित्व में होनी चाहिए।	(i) जीएलपी मापदण्डों को पूरा करती हो। (ii) एनएबीएल का स्तर प्राप्त करने हेतु।